

**प्रेस- विज्ञप्ति थाना बड़हलगंज दिनांक - 09-09-2020**

**गिरफ्तारी टाप – 10 अपराधी**

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जनपद गोरखपुर के पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी गोला गोरखपुर के नेतृत्व में दिनांक 09.09.20 को समय 05.40 बजे प्रभारी निरीक्षक श्री राणा देवेन्द्र प्रताप सिंह थाना बड़हलगंज के नेतृत्व में, उ0नि0 जयप्रकाश, का0 विनोद शर्मा, का0 सतेन्द्र भाष्कर द्वारा टेड़िया बंधा के पास बेलवादाखिली मोड़ थाना बड़हलगंज गोरखपुर से एक शातिर टाप – 10 अपराधी सदानन्द यादव पुत्र रामजीत यादव निवासी मरवटिया थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर को एक अदद चाकू नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 - 1122/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

**अभियुक्त का नाम व पता -**

सदानन्द यादव पुत्र रामजीत यादव निवासी मरवटिया थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।

**बरामदगी-**

1. एक अदद चाकू नाजायज।

**गिरफ्तारी / बरामदगी का स्थान दिनांक व समय**

टेड़िया बंधा के पास बेलवादाखिली मोड़ थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर, दिनांक 09.09.20 समय 05.40 बजे।

**अभियुक्त का अपराधिक इतिहास**

1. मु0अ0सं0 553/16 धारा 307 भा0द0वि0 थाना मदनपुर जनपद देवरिया।
2. मु0अ0सं0 235/17 धारा 406,420,504,506 थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।
3. मु0अ0सं0 342/17 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।
4. मु0अ0सं0 60/96 धारा 353,332,506 भा0द0वि0 थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।
5. मु0अ0सं0 404/18 धारा 392,411,120 बी भा0द0वि0 थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।
6. मु0अ0सं0 407/18 धारा 307 भा0द0वि0 थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।
7. मु0अ0सं0 408/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।
8. मु0अ0सं0 59/99 धारा 379,411 भा0द0वि0 थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।
9. मु0अ0सं0 554/18 धारा 3(1) गैग्रेस्टर एक्ट थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।
10. मु0अ0सं0 410/18 धारा 41,411,419,420,467,468,471 भा0द0वि0 थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।
11. मु0अ0सं0 -1122/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।

**घटना का विवरण** -दिनांक 09.09.20 को उ0नि0 जयप्रकाश मय हमराह के शान्ति व्यवस्था/ देखभाल क्षेत्र देखभाल क्षेत्र व तलाश शातिर टाप टेन अपराधी में पिडहनी की तरफ जा रहे थे कि जैसे ही टेड़िया बन्धा के आगे वेलवा दाखिली मोड़ के पास पहुंचे तो एकाएक मोटर साईकिल की लाइट से देखा कि एक व्यक्ति हम पुलिस वालो को देखकर पैदल पैदल वेलवा दाखिली गाँव की तरफ से ग्राम खडेसरी की तरफ जाने लगा कि शक होने पर टोक कर कड़ाई से पूछताछ व जामा तलाशी ली गयी तो अभियुक्त सदानन्द यादव पुत्र रामजीत यादव निवासी मरवटिया थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर के कब्जे से एक अदद चाकू बरामद करते हुए समय 05.40 बजे हिरासत में लिया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 - 1122/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

**गिरफ्तारी / बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राणा देवेन्द्र प्रताप सिंह थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।
2. उ0नि0 जयप्रकाश थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।
3. का0 विनोद शर्मा थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।
4. का0 सतेन्द्र भाष्कर थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर।